

## जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्र०/जो०वि०वि०ने०लि०/अअ-पीपीएन/फा०-सामान्य शाखा/प्रे० 1466 दिनांक-24/10/02

### आदेश

विषय:- गाँवों में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई प्रदान के सम्बन्ध में।

\*\*\*\*\*

निगम के आदेश क्रं०-अ०प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-/पत्रा-/प्रे.सं० 546 दिनांक 05-07-2001 (वाणिज्य/ जोधपुर डिस्कॉम-48) के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन गाँवों में जहाँ विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर तीन माह के अन्दर नया विद्युत तंत्र का विस्तार करके 2-3 कि०मी० 11 के०वी० लाईन तथा आवश्यकता होने पर 11/.4 के०वी० सब-स्टेशन स्थापित करके निरन्तर विद्युत सप्लाई देने के निर्देश दिये गये थे।

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21/9/2002 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 3 में आंशिक संशोधन करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि 24 घण्टे विद्युत सप्लाई के लिये जिन गाँवों में विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है, उनमें अब आगामी निर्देशों तक इस प्रकार का विद्युत तंत्र का विस्तार नहीं किया जावे।

उक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(एच०एस०देवड़ा)

उप-मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय),  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर